-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनाँक- 20.11.2026

- **थाना शिवली साइबर हेल्प डेस्क की प्रभावी कार्यवाही से साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति की ₹16,000/- की सम्पूर्ण धनराशि करायी गई वापस।**
- **साइबर ठग द्वारा रिश्तेदार बनकर फोन किया गया तथा खाते में ₹16,000/- भेजने का झांसा देकर फर्जी टैक्स्ट मैसेज भेजकर शिकायतकर्ता से ₹16,000/- की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली गई थी।**

अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री विपिन कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टिकरा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के पास साइबर ठग द्वारा फोन कर स्वयं को उसका रिश्तेदार बताते हुए उसके खाते में ₹16,000/- भेजने की बात कही गई तथा विश्वास में लेकर फर्जी टैक्स्ट मैसेज भेजा गया। इसके उपरान्त शिकायतकर्ता से ₹16,000/- की धनराशि ट्रांसफर करा ली गई। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 01.10.2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गई थी।। उक्त शिकायत पर थाना शिवली पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.11.2026 को शिकायतकर्ता की ठगी गई सम्पूर्ण धनराशि ₹16,000/- उसके बैंक खाते में वापस करायी गई। अपनी धनराशि वापस पाकर शिकायतकर्ता द्वारा कानपुर देहात पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 16,000

1. मोबाइल फोन खोने पर सीईआईआर पोर्टल व संचार साथी एप्लीकेशन के माध्यस से शिकायत दर्ज करें- https://www.ceir.gov.in
2. 2. आनलाइन फ्राड खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या https://www.cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करे।

धनराशि वापस कराने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. कम्प्यूटर आप0 अतुल कुमार
3. म0का0 1261 प्रीति सोनकर